<u>न्यायालयः—सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ब्यौहारी</u>
<u>जिला शहडोल (म.प्र.)</u>

(पीठासीन न्यायाधीश—एन.एस.ताहेड़)

RCSA 19//2020
Registration No.19/2020
Registration Date 31-07-2020
Filling No.154/2020
Filling Date 29-07-2020
CNRMP1805-000592-2020

रोहणी प्रसाद पिता स्व. रामनेवाज दर्जी उम्र—73 वर्ष
निवासी ग्राम धरी—नं. 02 तहसील ब्यौहारी
जिला शहडोल म.प्र. ————————वादी

<u>बनाम</u>

1. छोटेलाल पिता राममनोहर दर्जी उम्र—75 वर्ष
निवासी—धनी नं. 02 तहसील ब्यौहारी
जिला शहडोल (म.प्र.)
2. कैलासमती पति स्व. चन्दूलाल दर्जी उम्र—85 वर्ष
निवासी—ग्राम गंगासागर शिवमंदिर के पास जलबपुर
जिला जबलपुर (म.प्र.)
3. रोशनलाल पिता स्व. चन्द्रलाल दर्जी **(मृत)**
द्वारा विधिक प्रतिनिधि—
(अ) कलावती पति स्व. रोशनलाल नामदेव उम्र—55 वर्ष
(ब) काजल पिता स्व. रोशनलाल नामदेव उम्र—33 वर्ष
(स) रिया पिता स्व. रोशनलाल नामदेव उम्र—31 वर्ष
(द) कृतिका पिता स्व. रोशनलाल नामदेव उम्र—29 वर्ष
(ई) सुभाषिनी पिता स्व. रोशनलाल नामदेव उम्र—27 वर्ष
सभी निवासी—ग्राम गंगासागर गैस गोदाम के
सामने जबलपुर (म.प्र.)
4. अमृतलाल पिता स्व. चन्दूलाल दर्जी उम्र—55 वर्ष
निवासी—ग्राम गंगासागर शिवमंदिर के सामने जबलपुर (म.प्र.)
5. मुस. लक्ष्मी पति स्व. रामवली दर्जी उम्र—70 वर्ष
निवासी—नेता कॉलोनी आधारताल जबलपुर (म.प्र.)
6. अमित पिता स्व. रामवली दर्जी उम्र—40 वर्ष
7. मोहन पिता स्व. रामवली दर्जी उम्र—35 वर्ष

दोनो निवासी–नेता कॉलोनी आधारताल जबलपुर (म.प्र.)

8. लल्ली उर्फ सरिता पिता स्व. रामवली पति राजेश बाबू नामदेव उम्र–55 वर्ष
9. राजेश बाबू नामदेव पिता जानकी प्रसाद नामदेव उम्र–57 वर्ष दोनो निवासी–चाकघाट टमसनदी पुल के पास तहसील त्योंथर जिला रीवा (म.प्र.)
10. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर शहडोल जिला शहडोल (म.प्र.)
11. जयमंती पिता रामनेवाज दर्जी उम्र–80 वर्ष निवासी–उपरहटी मछरिया दरवाजा के पास जिला रीवा (म.प्र.)
12. दसमत पिता रामनेवाज दर्जी उम्र–75 वर्ष निवासी–ग्राम व पोस्ट डागा तहसील मझौली जिला सीधी (म.प्र.)
13. बेवी मां पतिया नामदेव दर्जी उम्र–50 वर्ष
14. राजेन्द्र मां पतिया नामदेव दर्जी उम्र–41 वर्ष
15. मनोज मां पतिया नामदेव दर्जी उम्र–40 वर्ष
16. संजू मां पतिया नामदेव उम्र–39 वर्ष
17. अंजू मां पतिया नामदेव उम्र–39 वर्ष
18. प्रेमलाल पिता स्व. चन्दूलाल नामदेव उम्र–60 वर्ष सभी निवासी–ग्राम धरी नं. 02 तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.)

———प्रतिवादीगण

वादी द्वारा	:	श्री के.एम. निगम अधिवक्ता।
प्रतिवादी कं. 18 द्वारा	:	स्वयं उपस्थित।
शेष प्रतिवावदीगण द्वारा	:	एकपक्षीय।

!! निर्णय !!

(आज दिनांक 06.05.2026 को घोषित)

01. यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 200 रकबा 0.10 एकड़ एवं सर्वे नंबर 602 रकबा 1.01 एकड़ स्थित ग्राम धरी नम्बर–02 तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. (एतस्मिन पश्चात विवादित भूमि कहा जायेगा) के संबंध में स्वत्व घोषणा, वसीयतनामा को अवैध व

प्रभावशून्य घोषित कराने, रिक्त आधिपत्य प्राप्ति एवं स्थायी व्यादेश के अनुतोष हेतु संस्थित किया हैं।

02. यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमि राममनोहर, रामदुलारे, रामनेवाज एवं राममिलन पिता वासुदेव दर्जी के स्वत्व एवं आधिपत्य की होने से राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज रही है, जो पैतृक संम्पति है। वादी एवं प्रतिवादीगण कमांक 1 लगायत 8 उनके वारिसान हैं।

03. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि राममिलन दर्जी का निधन लगभग 30 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा उसकी पत्नी बुटनीबाई उर्फ रामवती का निधन दिनांक 03.10.2008 को हो चुका है। राममिलन दर्जी निसंतान होने से विवादित भूमि में बुटनीबाई का कोई स्वत्व एवं अधिपत्य नही रहा है तथा विवादित भूमि तीनो भाई राममनोहर, रामदुलारे, रामनेवाज के स्वामित्व में समाहित हक में आ गई थी।

04. विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी क. 1 लगायत 8 की पैतृक भूमि है तथा प्रतिवादी कमांक–9 किसी भी प्रकार से वारिसान से संबंधित नही है। स्व. राममिलन दर्जी निःसंतान होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में उसकी बेवा रामवती उर्फ बुटनीबाई का भी राजस्व रिकॉर्ड में नाम नहीं आया था। राममिलन एवं उसकी पत्नी बुटनीबाई नामदेव ने उनके जीवनकाल में कभी कोई वसीयतनामा प्रतिवादी क. 9 के नाम नहीं कराया है, न ही प्रतिवादी कमांक–9 बुटनीबाई का कोई वारिस है, जो चाकघाट में जन्म से ही रहता था। प्रतिवादी क. 9 राजेश बाबू नामदेव ने फर्जी वसीयत दिनांक 02.11.2004 के आधार पर उसके नाम नामांतरण कराने का आवेदन पत्र दिनांक 24.03.2009 को न्यायालय तहसील ब्यौहारी वृत्त बुड़वा के यहां प्रस्तुत किया था।

05. उक्त आवेदन पत्र में विवादित भूमि का कोई नंबर लेख नहीं

कराया गया था। नायब तहसीलदार देहरिया रिटायर होने वाले थे, इसका फायदा उठाते हुये फर्जी तरीके से बिना सूचना के अवैधानिक रूप आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी क्र. 9 चतुर, चालाक व्यक्ति था, जिसने फर्जी तरीके से विवादित भूमि का 1/4 हिस्सा को उसके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया।

06. नायब तहसीलदार ब्यौहारी ने वसीयत पत्र दिनांक 02.11.2004 को भी देखने का प्रयास नहीं किया कि विवादित भूमि का नंबर क्या फर्जी वसीयत पत्र में लेख है और बिना देखे ही विवादित भूमि के 1/4 हिस्सा को राजस्व प्रकरण क्रमांक– 8/अ6/12–13 आदेश दिनांक 20.04.2015 के तहत प्रतिवादी क्र. 9 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया। अतः विवादित भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा, वसीयतनामा को अवैध व प्रभावशून्य घोषित कराने, रिक्त आधिपत्य प्राप्ति एवं स्थायी व्यादेश के अनुतोष हेतु वाद संस्थित किया हैं।

07. प्रतिवादी क्रमांक–9 की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त वादपत्र के महत्वपूर्ण अभिवचनों को अस्वीकार कर अभिवचन है कि विवादित भूमि का सहस्वामियो के मध्य आपसी बटवारा हो जाने से अपने–अपने हिस्से में काबिज है तथा स्व. राममिलन की पत्नी बुटनीबाई ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी क्रमांक–9 के हक में वसीयतनामा दिनांक 02.11. 2004 को लेख कर दिया था जिसके आधार पर प्रतिवादी क्रमांक–9 का नामांतरण उपरांत राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होने से मौके पर काबिज है। राममनोहर, रामदुलारे, रामनेवाज के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक–1 लगायत 8 के अतिरिक्त अन्य पुत्र पुत्री है जिनको पक्षकार नही बनाया गया है।

08. प्रतिवादी क्र. 7 मोहन पिता रामवली दर्जी निवासी नेता कॉलोनी

आधारताल जबलपुर म.प्र. नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। स्व. रामवली के दो पुत्र अमित और लवकेश में से लवकेश के स्थान पर मोहन का नाम लेख किया है। स्व. रामवली का पुत्र लवकेश की मृत्यु वर्ष 2016 में हो चुकी है जो वादी के परिवार का है, जिसे वादी ने तहसील न्यायालय में पक्षकार बनाया था। वादी ने मृतक लवकेश का नाम मोहन लेख कर प्रतिवादी क्रमांक–7 के रूप में मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने के कारण वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

09. प्रतिवादी क्र. 9 ने वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने का प्रकरण तहसील न्यायालय ब्यौहारी में रा.प्र.क्र.–8/अ6/2012–13 पेश किया था, जिसमें वादी ने आपत्ति पेश किया, जिसका निराकरण दिनांक 20.04.2015 को किया जाकर नामांतरण स्वीकार किये जाने से प्रतिवादी क्र. 9 का नाम राजस्व अभिलेख खसरा खतौनी में दर्ज हो जाने की जानकारी वादी को तत्समय से होने के बावजूद वादी उक्त आदेश की कोई अपील या निगरानी कभी पेश नही की गई है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाहर है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

10. प्रतिवादी क्रमांक–18 की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत कर वादपत्र के महत्वपूर्ण तथ्यो को स्वीकार कर अभिवचन किया है कि स्व. बटुनीबाई उर्फ रामवतीबाई अपने जीवनकाल में अपने हक व कब्जे की समस्त भूमि का वसीयतनामा प्रतिवादी क्रमांक–9 के पक्ष में निष्पदित कराया है तथा विवादित भूमि चार भाग में विभाजित होकर एक हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक–9 के हक का होने से उसका नामांतरण वर्ष 2012–13 में हो चुका है। उक्त समय से प्रतिवादी क्रमांक–9 विवादित भूमि के 1/4 भाग पर काबिज है। वादी द्वारा अवधि बाहर वाद प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः वादी

की ओर से प्रस्तुत वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

11. शेष प्रतिवादीगण को वाद का समन विधिवत रूप से निर्वाह होने के उपरांत सुनवाई में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

12. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गए हैं, जिसके सामने निष्कर्ष प्राप्त किया जावेगा :–

क्र.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
01	क्या तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल ग्राम धरी स्थित आराजी खसरा नम्बर 200 रकबा 0.10 एकड़ एवं खसरा नम्बर 602 रकबा 1.01 एकड़ भूमियां राममनोहर, रामनेवाज, रामदुलारे एवं राममिलन की संयुक्त पैतृक सम्पति है ?	**"प्रमाणित"**
02	क्या वसीयत दिनांक 02.11.2004 विधि विरूद्ध निष्पादित किये जाने से वादी के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी है ?	**"प्रमाणित नही"**
03	क्या वादी वादग्रस्त भूमियों में 1/4 हिस्से का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है ?	**"प्रमाणित नही"**
04	क्या वादी उसके स्वत्व एवं आधिपत्य के हिस्से के संबंध में प्रतिवादी क्र. 9 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है ?	**"प्रमाणित नही"**
05	क्या वाद में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ?	**"प्रमाणित नही"**
06	क्या वाद मृत पक्षकार के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से वाद उपशमित होकर खारिज किये जाने योग्य है ?	**"प्रमाणित"**

07	क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है ?	**"प्रमाणित"**
08	क्या वाद अवधि बाह्य है ?	**"प्रमाणित"**
09	अन्य सहायता एवं व्यय।	**"पैरा कं 31 के अनुसार वाद निरस्त"**

<u>वादप्रश्न क्रमांक 01 का विनिश्चय व कारण सहित निष्कर्ष</u>

13. वादी की ओर से साक्षी स्वयं वादी रोहणी प्रसाद नामदेव वा. सा.1, रोहित कुमार नामदेव वा.सा.2 का परीक्षण कराकर दस्तावेज खतौनी मौजा वर्ष 1983–84 प्र.पी.–01, खसरा पंचशाला वर्ष 1974–75 लगायत 2003–04 प्र.पी.–02, 03, 04, खसरा वर्ष 2013–19 प्र.पी.–05 लगायत प्र.पी.–09, वंशवृक्ष प्र.पी.–10, राजस्व न्यायालय तहसीलदार ब्यौहारी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 52अ–छ/2008–09, प्रकरण क्रमांक 60अ–छ/2008–09 आदेश दिनांक 20.04. 2015 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.–11, नामांतरण आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.–12, खसरा वर्ष 2004–05 लगायत वर्ष 2008–09 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.–13, खसरा वर्ष 2010–11 लगायत वर्ष 2012–13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.–14, खसरा वर्ष 2005–06 लगायत वर्ष 2008–09 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.–15, वसीयत पत्र प्र.पी. 16 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये गये हैं। प्रतिवादीगण की ओर से किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

14. यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमि राममनोहर, रामदुलारे, रामनेवाज एवं राममिलन पिता वासुदेव दर्जी के स्वत्व एवं आधिपत्य की होने से राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज रही है, जो पैतृक संम्पति है। वादी साक्षी रोहणी प्रसाद नामदेव वा.सा.1 का कहना है कि विवादित भूमि उसके

बाबा के पिता वासुदेव नामदेव की सम्पति है। उसके बाबा वासुदेव नामदेव की मृत्यु के बाद विवादित भूमि उनके वारिसान पुत्र राममनोहर, रामदुलारे, रामनेवाज, राममिलन के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादी साक्षी रोहित कुमार नामदेव वा.सा. 2 ने सारतः उक्त प्रकार की साक्ष्य दी है।

15. प्रति परीक्षण क दौरान वादी साक्षी रोहणी प्रसाद नामदेव व रोहित कुमार नामदेव की उक्त साक्ष्य कोई खंडन नही हुआ है। वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज खतौनी मौजा वर्ष 1983–84 प्र.पी.–01, खसरा पंचशाला वर्ष 1974–75 लगायत 2003–04 प्र.पी.–02, 03, 04 से प्रकट होता है कि विवादित भूमि वासुदेव पिता दीनबंधु दर्जी के नाम दर्ज रही है तथा उसके पश्चात् उसके पुत्र राममनोहर, रामदुलारे, रामनेवाज, राममिलन के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजो से इस बात की पुष्टि होती है कि विवादित भूमि राममनोहर, रामदुलारे, रामनेवाज, राममिलन की पैतृक संयुक्त सम्पति रही है। अतः **वादप्रश्न कमांक–1** के संबंध में यह **प्रमाणित** पाया जाता है कि तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल ग्राम धरी स्थित आराजी खसरा नम्बर 200 रकबा 0.10 एकड़ एवं खसरा नम्बर 602 रकबा 1.01 एकड़ भूमियां राममनोहर, रामनेवाज, रामदुलारे एवं राममिलन की संयुक्त पैतृक सम्पति है।

वादप्रश्न क्रमांक 2 का विनिश्चय व कारण सहित निष्कर्ष

16. वादपत्र में यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी कमांक–9 राजेश बाबू नामदेव ने विवादित भूमि के संबंध में फर्जी वसीयतनामा दिनांक 02.11.2004 को निष्पादित कराकर विवादित भूमि के 1/4 अंश पर नामांतरण करा लिया है। उक्त संबंध में वादी साक्षी रोहणी प्रसाद नामदेव ने वा.सा. 1 का कहना है कि उसकी भूमियो के संबंध में कोई वसीयत राजेश नामदेव के नाम नही करवाई गयी है तथा दूसरी तरफ कहना है कि उसे जानकारी नही है कि

राजेश बाबू ने किससे वसीयत करायी थी किन्तु उक्त साक्षी ने अपने अभिवचन अनुसार ऐसी कोई साक्ष्य नही दी है कि वसीयतनामा प्र.पी. 16 फर्जी एवं कूटरचित है।

17. वादी साक्षी रोहित कुमार नामदेव वा.सा. 2 का कहना है कि राममिलन का हिस्सा हड़पने के लिये राजेश बाबू नामदेव ने फर्जी वसीयतनामा बनवाया था किन्तु उक्त साक्षी वसीयतनामा का साक्षी नही है, ऐसी स्थिति में यह नही कहा जा सकता है कि स्व. रामवती उर्फ बुटनी पति स्व. राममिलन दर्जी द्वारा राजेश बाबू नामदेव पिता जानकी प्रसाद नामदेव के हक में आराजी खसरा नम्बर–150/2, 115, 137 के संबंध में किया गया वसीयतनामा अवैध एवं कूटरचित है। अतः **वादप्रश्न कमांक–2** के संबंध में यह **प्रमाणित नही** पाया जाता है कि वसीयत दिनांक 02.11.2004 विधि विरूद्ध निष्पादित किये जाने से वादी के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी है।

<u>वादप्रश्न क्रमांक 3 एवं 4 का विनिश्चय व कारण सहित निष्कर्ष</u>

18. वादी साक्षी रोहणी प्रसाद नामदेव वा.सा. 1, रोहित कुमार नामदेव वा.सा. 2 का कहना है कि राजेश बाबू नामदेव ने वसीयत के आधार पर उसका नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज करा लिया है तथा विवादित भूमि के 1/4 हिस्सा पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। चूंकि यह प्रमाणित नही पाया गया है कि वसीयत दिनांक 02.11.2004 विधि विरूद्ध निष्पादित किये जाने से वादी के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी है, ऐसी स्थिति में यह नही कहा जा सकता है कि प्रतिवादी कमांक–9 ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उक्त स्थिति में वादी रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का पात्र नही है, न ही स्थायी व्यादेश प्राप्त करने का पात्र है। अतः **वादप्रश्न कमांक–3** के संबंध में यह **प्रमाणित नही** पाया जाता है कि वादी वादग्रस्त भूमियों में 1/4 हिस्से का रिक्त आधिपत्य प्राप्त

करने का अधिकारी है। **वादप्रश्न कमांक–4** के संबंध में यह **प्रमाणित नही** पाया जाता है कि वादी उसके स्वत्व एवं आधिपत्य के हिस्से के संबंध में प्रतिवादी क. 9 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>वादप्रश्न क्रमांक 5 का विनिश्चय व कारण सहित निष्कर्ष</u>

19. प्रतिवादी कमांक–9 की ओर से वादोत्तर में अभिवचन किया गया है कि राममनोहर, रामदुलारे, रामनेवाज, राममिलन के वारिस वादी एवं प्रतिवादी कमांक–1 लगयात 8 के अतिरिक्त उनके अन्य विधिक वारिस पुत्र–पुत्री को पक्षकार नही बनाया गया है, ऐसी स्थिति में वाद में आवश्यक पक्षकार के असंयोजन का दोष है किन्तु वाद के विचाराधीन अवस्था में वादी द्वारा शेष उत्तराधिकारियो को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त वादप्रश्न का औचित्य नही रहा है। अतः **वादप्रश्न कमांक–5** के संबंध में यह **प्रमाणित नही** पाया जाता है कि वाद में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है।

<u>वादप्रश्न क्रमांक 6 का विनिश्चय व कारण सहित निष्कर्ष</u>

20. प्रतिवादी कमांक–9 की ओर से वादोत्तर में अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी कमांक–7 मोहन पिता रामवली दर्जी नाम का कोई भी व्यक्ति नही है। स्व. रामवली के दो पुत्र अमित एवं लवकेश में से पुत्र लवकेश का निधन वर्ष 2016 में हो चुका है जिसे वादी ने राजस्व न्यायालय में पक्षकार भी बनाया था। वादी ने मृतक लवकेश के स्थान पर अन्य व्यक्ति मोहन का नाम प्रतिवादी कमांक–7 के रूप में संयोजित किया है, ऐसी स्थिति में दावा निरस्त किये जाने योग्य है।

21. उक्त संबंध में वादी साक्षी रोहणी प्रसाद नामदेव वा.सा. 1 का

प्रतिपरीक्षण में कहना है कि वह प्रतिवादी क्रमांक–7 मोहन उर्फ योगेश को नही जानता है तथा रामवली के पुत्र लवकेश का निधन वर्ष 2016 मे हो गया है जो उसके परिवार का व्यक्ति था। वादी साक्षी रोहित कुमार नामदेव वा.सा. 2 का भी प्रतिपरीक्षण में कहना है कि रामवली के दो पुत्र अमित एवं लवकेश है जिसमें से लवकेश का निधन लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुका है और मोहन नाम का कोई पुत्र रामवली का नही है।

22. वादी साक्षी रोहणी प्रसाद नामदेव व रोहित कुमार नामदेव की साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादी ने स्व. रामवली दर्जी के मृत पुत्र लवकेश के स्थान पर काल्पनिक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति मोहन का नाम प्रतिवादी क्रमांक–7 के रूप में संयोजित किया है। वादी द्वारा आपत्ति के उपरांत भी संशोधन नही किया गया है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत रनियाबाई विरूद्ध टेकमणि राठौर एवं अन्य 2023 (4) एम.पी.एल.जे.371 में प्रतिपादित किया गया है कि मृत व्यक्ति के पक्ष में अथवा उसके विरूद्ध पारित आज्ञप्ति अकृत होती है। न्यायदृष्टांत लक्ष्मीनारायण एवं अन्य विरूद्ध जानकीबाई एवं अन्य 2024 (1) एम.पी.एल.जे.212 में प्रतिपादित किया गया है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित वाद प्रारंभ से ही अकृत होता है। अतः **वादप्रश्न क्रमांक–6** के संबंध में यह **प्रमाणित** पाया जाता है कि वाद मृत पक्षकार के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से वाद उपशमित होकर खारिज किये जाने योग्य है।

वादप्रश्न क्रमांक 7 का विनिश्चय व कारण सहित निष्कर्ष

23. प्रतिवादी क्रमांक–9 की ओर से वादोत्तर में अभिवचन किया गया है कि वादी द्वारा गलत तरीके से वाद का मूल्यांकन कर अपर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है। वादपत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी ने विवादित भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा, वसीयतनामा को अवैध व प्रभावशून्य घ

ोषित कराने, रिक्त आधिपत्य प्राप्ति एवं स्थायी व्यादेश के अनुतोष हेतु वाद संस्थित किया हैं।

24. वादी की ओर से स्वत्व घोषणा के अनुतोष के लिये 1000 रूपये, रिक्त आधिपत्य के अनुतोष के लिये भू–राजस्व 0.50 रूपये का 20 गुना 10 रूपये, स्थायी व्यादेश के अनुतोष के लिये 1000 रूपये वाद मुल्यांकन कर कुल 1130 रूपये न्यायालय शुल्क अदा की है जो पर्याप्त है। अतः **वादप्रश्न कमांक–7** के संबंध में यह **प्रमाणित** पाया जाता है कि वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है।

वादप्रश्न क्रमांक 8 का विनिश्चय व कारण सहित निष्कर्ष

25. प्रतिवादी कमांक–9 की ओर से वादोत्तर में अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क. 9 ने वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने का प्रकरण तहसील न्यायालय ब्यौहारी में रा.प्र.क.–8/अ6/2012–13 पेश किया था, जिसमें वादी ने आपत्ति पेश किया, जिसका निराकरण दिनांक 20.04.2015 को किया जाकर नामांतरण स्वीकार किये जाने से प्रतिवादी क. 9 का नाम राजस्व अभिलेख खसरा खतौनी में दर्ज हो जाने की जानकारी वादी को तत्समय से होने के बावजूद वादी उक्त आदेश की कोई अपील या निगरानी कभी पेश नही की गई है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाहर है।

26. प्रतिवादी कमांक–18 की ओर से वादोत्तर में अभिवचन किया है कि स्व. बटुनीबाई उर्फ रामवतीबाई अपने जीवनकाल में अपने हक व कब्जे की समस्त भूमि का वसीयतनामा प्रतिवादी कमांक–9 के पक्ष में निष्पदित कराया है तथा विवादित भूमि चार भाग में विभाजित होकर एक हिस्सा प्रतिवादी कमांक–9 के हक का होने से उसका नामांतरण वर्ष 2012–13 में हो चुका है।

उक्त समय से प्रतिवादी क्रमांक–9 विवादित भूमि के 1/4 भाग पर काबिज है। वादी द्वारा अवधि बाहर वाद प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

27. वादी की ओर से वादपत्र मे अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक–9 ने वादी की पैतृक भूमि के 1/4 हिस्से को दिनांक 23.12.2019 को स्वत्व को अवसोशित करते हुये कब्जा कर लेने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है तथा वादी ने वाद कारण दिनांक से 12 वर्ष के भीतर वाद प्रस्तुत किया है।

28. उक्त संबंध में विचार करने पर न्यायदृष्टांत रीवा ऐसोसियटस (मेसर्स) एवं अन्य विरूद्ध सरजूबाई एवं अन्य आई.एल.आर. (2016) एम.पी.3367 में प्रतिवादित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 109 के अनुसार पैतृक सम्पति के हस्तांतरण को अपास्त करने के लिये वाद में परिसीमा अवधि 12 वर्ष है और परिसीमा सम्पति के हस्तांतरण दिनांक से प्रारंभ होती है। हस्तगत वाद में पैतृक सम्पति का हस्तांतरण वसीयत पत्र दिनांक 02.11.2004 को हुआ है जिसे निरस्त कराने के लिये दिनांक 02.11.2016 तक 12 वर्ष के भीतर वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये था किन्तु वादी द्वारा दिनांक 29.07.2020 को वाद प्रस्तुत किया है।

29. उक्त संबंध में वादी साक्षी रोहणी प्रसाद नामदेव वा.सा. 1 का प्रतिपरीक्षण में कहना है कि प्रतिवादी क्रमांक–9 राजेश बाबू नामदेव का नामांतरण वर्ष 2015 में हो गया था किन्तु उसे वर्ष 2019 में जानकारी हुई थी। वादी की ओर से प्रस्तुत नामांतरण आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 12 से प्रकट होता है कि प्रतिवादी क्रमांक–9 नें वादी रोहणी प्रसाद नामदेव को पक्षकार बनाते हुये वसीयत दिनांक 02.11.2004 के आधार पर नामांतरण के लिये दिनांक 24.03.2009 को राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार ब्यौहारी जिला शहडोल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था तथा राजस्व न्यायालय के

आदेश दिनांक 20.04.2015 प्र.पी. 11 से प्रकट होता है कि उभयपक्ष को सुनने के उपरांत आदेश पारित किया गया था।

30. उक्त आदेश में यह भी उल्लेखित है कि नामांतरण कार्यवाही में वादी रोहणी प्रसाद नामदेव ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया था, ऐसी स्थिति है कि स्पष्ट है कि वादी को वसीयतनामा दिनांक 02.11.2004 की जानकारी आदेश दिनांक 20.04.2015 के पूर्व से रही है। उक्त स्थिति में वादी को लिखत वसीयतनामा दिनांक 02.11.2004 की जानकारी होने के वर्ष 2015 के तीन वर्ष के भीतर वर्ष 2018 तक वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये था किन्तु वादी द्वारा दिनांक 29.07.2020 को वाद प्रस्तुत किया है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाहर है। अतः **वादप्रश्न कमांक–8** के संबंध में यह **प्रमाणित** पाया जाता है कि वाद अवधि बाह्य है।

<u>वादप्रश्न कं. 9 सहायता एवं व्यय</u>

31. उपरोक्त वादप्रश्न के विनिश्चय एवं निष्कर्ष के आधार पर यह अवधारित किया जाता है कि वादी अपना वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय किया जाता है :–

अ. वादी का वाद कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 200 रकबा 0. 10 एकड़ एवं सर्वे नंबर 602 रकबा 1.01 एकड़ स्थित ग्राम धरी नम्बर–02 तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. के संबंध में निरस्त किया जाता है।

ब. वादी अपना एवं प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेगा।

स. अधिवक्ता शुल्क मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम 1961 के

नियम 523 के अनुसार प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो जोडा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित
किया गया।

(एन.एस. ताहेड़)
सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
ब्यौहारी जिला शहडाल (म.प्र.)

(एन.एस. ताहेड़)
सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
ब्यौहारी जिला शहडाल (म.प्र.)

NAN SINGH TAHED

Digitally signed by NAN SINGH TAHED